



सरकार ने घुटना प्रत्यारोपण के उच्चतम मूल्य निर्धारित किए, भारत की जनता को इससे 1500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत होगी

यह अनैतिक मुनाफाखोरी को रोकने और आखिरी आदमी के लिए सस्ती और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है: श्री अनंत कुमार

घुटना प्रत्यारोपणों के लिए ज्यादा पैसे लेने की कड़ाई से निगरानी की जाएगी और जुर्माना भी लगेगा

Posted On: 16 AUG 2017 4:47PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2017 के अवसर पर दिए गए भाषण में की गयी घोषणा के अनुसार सरकार ने आज से ही घुटने की शल्य-चिकित्सा में प्रयुक्त आर्थोपेडिक प्रत्यारोपणों के उच्चतम मूल्य निर्धारित किए हैं। यह जानकारी आज केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। भारत में प्रतिवर्ष किए जाने वाले लगभग 1 से 1.5 लाख आर्थोपेडिक घुटना प्रक्रियाओं की संख्या के आधार पर इससे भारत के लोगों को प्रतिवर्ष लगभग 1500 करोड़ रुपये की बचत होगी। उन्होंने कहा कि यह अनैतिक मुनाफाखोरी को रोकने और आखिरी आदमी के लिए सस्ती और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

श्री कुमार ने कहा कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार इस व्यापार में बहुत मुनाफा था, जो अनुचित और अनैतिक मुनाफाखोरी के रूप में व्याप्त था। एनपीपीए ने उच्चतम मूल्य निर्धारित करते हुए सभी नई प्रौद्योगिकी प्रत्यारोपणों को ध्यान में रखते हुए ये मूल्य निर्धारित किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

घुटना प्रत्यारोपण की किस्म	पहले औसत अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपये)	औसत रूप से घटाए गए मूल्य	नए उच्चतम मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपये)
कोबाल्ट क्रोमियम (व्यापक रूप से प्रयुक्त)	1,58,324	65%	54,720
विशेष धातु जैसे टाइटेनियम और ऑक्सीडाइज्ड जिरकोनियम	2,49,251	69%	76,600
उच्च लचीलापन प्रत्यारोपण	1,81,728	69%	56,490
संशोधित प्रत्यारोपण	2,76,869	59%	1,13,950
कैंसर और ट्यूमर के लिए विशिष्ट प्रत्यारोपण	कंपनी विशिष्ट मूल्य; एनपीपीए द्वारा 1,13,950 रुपये निर्धारित किए जाने हैं		

* कंपनियां इन उच्चतम कीमतों में जीएसटी जोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य प्रकाशित करेंगी

श्री अनंत कुमार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने यह अनुमान लगाया गया है कि 2020 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस दुनिया में गतिहीनता का चौथा सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। भारत में 1.2 से 1.5 करोड़ ऑर्थोपेडिक मरीजों हैं जिन्हें आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता है। अधिकांश निदान किए गए लोगों को घुटने की सर्जरी की आवश्यकता है लेकिन वह अधिक कीमत के कारण ऐसी सर्जरी कराने में असमर्थ हैं। सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए आज से ही घुटने के प्रत्यारोपण के अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रहे हैं।

श्री अनंत कुमार ने बताया कि सरकार को सभी आयातकों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, अस्पतालों आदि सहित सभी हितधारकों से इस बारे में पूरा सहयोग मिलने की उम्मीद है, ताकि घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों में की गयी इस कमी का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने यह भी बताया कि मुनाफाखोरी की सभी शिकायतों की कड़ाई से निगरानी की जाएगी और ली गई अधिक राशि दोषी पार्टियों से 18% ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ऐसी पार्टियों के लाइसेंस रद्द करने और ऐसी अनैतिक मुनाफाखोरी में लगे हितधारकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बारे में भी विचार कर सकती है। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख लाल मंडाविया, फार्मास्युटिकल्स सचिव श्री जय प्रिये प्रकाश और एनपीपीए के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह भी उपस्थित थे।

वीके/आईपीएस/डीए - 3436

